रजि. सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 1993/भाद्र 25, 1915
No. 316] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 1993/BHADRA 25, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1993

सं. 171/93—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 610(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 107/91—सीमाशुल्क, तारीख 25 जुलाई, 1991 को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे सद्भाविक दानों को, जो विदेश व्यापार (विकास और

विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अधीन उनके आयात के बारे में किसी भी प्रतिषेध से छूट प्राप्त है और जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.04 के अधीन आते हैं, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जबकि डाक द्वारा या विमान वस्तु भाड़ा के रूप में आयातित ऐसे सद्भाविक दानों का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, डाक महसूल या विमान वस्तु भाड़ा को एक हजार रुपए की मूल्य सीमा का अवधारण करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 476/35/93—एल. सी.]

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1993

NO. 171/93-CUSTOMS

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) o section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of th notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Departmen of Revenue No. 107/91-Customs, dated the 25th July, 1991, the Central Gov ernment being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereb exempts bonafide gifts as are exempted from any prohibition in respect of th import thereof under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992) and falling under heading 98.04 of the First Schedule to th Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) from the whole of the duty of custom leviable thereon under the said First Schedule and the whole of the additiona duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act :

Provided that the value of such bonafide gifts imported by post or as air freight does not exceed rupees one thousand.

Explanation :—For the purposes of this notification, postal charges or the air freight shall not be taken into account for determining the value limit of rupees one thousand.

[F. No. 476|35|93-L.C.]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993